

CC/S&B/SA/26
29.04.2020

BSE Limited
The Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400001

The National Stock Exchange of India
The Listing Department,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Mumbai- 400051

Dear Sir/Madam,


**Sub:Disclosure under Regulation 30 of Securities Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: General
Meeting of Shareholders of the Bank**

In terms of Regulation 4(2)(b)(i) of the SEBI Listing Regulations, we forward herewith, a copy of the gazette notification dated 18.04.2020 regarding general meeting of the shareholders scheduled to be held on 17th June 2020 for election of directors.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully
For State Bank of India



(Sanjay M Abhyankar)
Vice President Compliance & Company Secretary



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28042020-219208
CG-MH-E-28042020-219208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942

No. 159]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

मुम्बई, 18 अप्रैल, 2020

संदर्भ संख्या : सीसी/एसएंडबी/एसए/2020-21/25.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की साधारण सभा बुधवार, दिनांक 17 जून 2020 को दोपहर 3.00 बजे “स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक कॉम्प्लेक्स, मैडम कामा रोड, मुंबई -400021 (महाराष्ट्र)” में निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी:

1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ग) के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड के लिए चार निदेशकों का चुनाव करना।

निदेशकों के चुनाव संबंधी जानकारी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 के खण्ड (ग) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों के चार रिक्त-पदों को भरने के लिए भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 के अध्याय V के अनुसार आयोजित होने वाले चुनाव से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

- निदेशकों का चुनाव केन्द्रीय सरकार को छोड़कर बैंक के शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निम्नलिखित चार निदेशकों के सेवानिवृत्त होने/पद-त्याग करने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त-पदों को भरने के लिए हो रहा है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	कार्यकाल अवधि
1.	श्री संजीव मल्होत्रा	26.06.2017 to 25.06.2020
2.	श्री भास्कर प्रामाणिक	26.06.2017 to 25.06.2020

3.	श्री बसंत सेठ	26.06.2017 to 25.06.2020
4.	श्री बी. वेणुगोपाल	*07.06.2018 to 25.06.2020

* श्री प्रवीण कुटुम्बे को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (सी) के तहत दिनांक 26.06.2017 के प्रभाव से तीन वर्षों के लिए शेयरधारकों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री कुटुम्बे के इस्तीफे के परिणामस्वरूप w.e.f. 8 मार्च, 2018 के प्रभाव से बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 25 (2) (ए) के तहत होने वाली आकस्मिक रिक्तियों को भरे जाने का फैसला किया। श्री बी वेणुगोपाल को बैंक के केंद्रीय बोर्ड में श्री कुटुम्बे के सेवाकाल के अनवसित भाग, अथान्थ 07 जून 2018 से 25 जून 2020 तक, के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में घोषित किया गया है।

- शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों का कार्यकाल 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- नामांकन फॉर्म और शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा एवं वचन-पत्र के फॉर्मेट्स बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय, कॉरपोरेट केन्द्र के केन्द्रीय बोर्ड सचिवालय और बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in में इन्वैस्टर रिलेशन्स → जनरल मीटिंग में उपलब्ध हैं। विधिवत भरे हुए नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में बुधवार, दिनांक 27 मई 2020 को शाम 5.00 बजे (बंद होने का समय) तक या उससे पूर्व बैंक के कॉरपोरेट केन्द्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

लिफाफे पर "शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के निर्वाचन हेतु नामांकन फॉर्म" साफ-साफ लिखा होना चाहिए और इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए :

महाप्रबंधक एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र
19वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड, मुंबई – 400021

- बंद होने के समय के बाद प्राप्त नामांकन फॉर्म और घोषणा एवं वचन-पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- शेयरधारक जिनके पास उनके अधिकार में चाहे वे एकमात्र अधिकार में या संयुक्त रूप में होने पर प्रथम नाम से हो और बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में भारमुक्त कम से कम 5000 शेयर उनके नाम में पंजीकृत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 ए एवं 22 के उपबंधों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के अनुसार वे अयोग्य न हों, चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं।
- यदि वैध नामांकनों की संख्या चार से अधिक होती है, तो चुनाव के लिए मतदान शेयरधारकों की साधारण सभा में करवाया जाएगा। यह सभा बुधवार, दिनांक 17 जून 2020 को दोपहर 3.00 बजे "स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक कॉम्प्लेक्स, मैडम कामा रोड, मुंबई -400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित होगी।
- शेयरधारक जिनके पास उनके अधिकार में चाहे वे एकमात्र अधिकार में हो या संयुक्त रूप में होने पर प्रथम नाम से 50 और उससे अधिक शेयर हों और वे इस महासभा की तिथि से 3 माह पूर्व की एक न्यूनतम अवधि के लिए बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत हों तथा जो इस सभा की तिथि को न्यूनतम 50 शेयरों के साथ बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में लगातार एक शेयरधारक के रूप में बने हुए हों, इस चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं।

टिप्पणियां

(i) प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची :

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालयों में, बैंक की वेबसाइट : www.sbi.co.in पर निवेशक संबंध/शेयरधारक सूचना लिंक के अंतर्गत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं :

- (1) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 – टेलीफोन नं. (022)-2274 0841-0848.
- (2) मेसर्स अलंकित असिंमेंट्स लि., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, अलंकित हाइट्स, 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स, ई/7, झंडेलवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055 टेलीफोन नं. 011-42541234, 7290071335.

उपस्थिति पत्रियां दिनांक 17 जून 2020 को महासभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (जहां लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400 021 में दिनांक 6 जून 2020 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

(ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि

महासभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में दिनांक 10 जून 2020 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

- (i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021
- (ii) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सनर्जी, सी-6, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.

रजनीश कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./14/2020-21]

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

Mumbai, the 18th April, 2020

F. No. CC/S&B/SA/2020-21/25.—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Wednesday, the 17th June, 2020 at “**State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021** (Maharashtra) at 3.00 p.m. to transact the following business:

1. To elect four Directors to the Central Board of the Bank under the provisions of Section 19 (c) of State Bank of India Act, 1955.

Details on Election of Directors

Details in respect of the election to be held as per Chapter V of the State Bank of India General Regulations, 1955 to fill the four vacancies of directors in the Central Board of the State Bank of India, under clause (c) section 19 of the State Bank of India Act, 1955 are as under:

- The election of Directors is being held to fill in the vacancies arising out of the retirement/resignation of the following four Directors elected by eligible Shareholders of the Bank, other than the Central Government.

Sr. No.	Name of the Director	Term
1	Shri Sanjiv Malhotra	26.06.2017 to 25.06.2020
2	Shri Bhaskar Pramanik	26.06.2017 to 25.06.2020
3	Shri Basant Seth	26.06.2017 to 25.06.2020
4	Shri B. Venugopal	*07.06.2018 to 25.06.2020

* Shri Pravin Kutumbe was appointed as Shareholders' Director under Section 19(c) of the State Bank of India Act, 1955 w.e.f. 26.06.2017 for three years. Consequent upon the resignation of Shri Kutumbe w.e.f. 8th March, 2018 the Central Board of the Bank has decided to fill the casual vacancy occurred under section 25(2)(a) of the SBI Act, 1955. Shri B. Venugopal has been declared as Shareholders' Director on the Bank's Central Board for unexpired portion of the term of Shri Kutumbe i.e. from 07th June 2018 to 25th June, 2020.

- The term of office of the Directors to be elected by the shareholders will be for a period of three years from 26th June, 2020 to 25th June, 2023.
- The Nomination form and the format of the Declaration & Undertaking to be submitted by Shareholders are available with the Secretariat of the Chief General Managers at all the Local Head Offices, the Central Board Secretariat at the Corporate Centre of the Bank and Bank's website www.sbi.co.in →Investor Relations→ General Meeting . The duly filled up Nomination form and Declaration & Undertaking should be submitted with all connected documents in a sealed envelope to the Bank at its Corporate Centre, Mumbai, on or before 27th May, 2020 by 05.00 pm (closing time). The envelope should be super-scribed :

“NOMINATION FORM FOR ELECTION OF DIRECTOR BY SHAREHOLDERS” and delivered at the following address:

The General Manager & Secretary, Central Board,
State Bank of India, Corporate Centre,
19th Floor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai – 400 021.

Nomination form and Declaration & Undertaking received after the closing time will be rejected.

- Any Shareholder, having not less than 5000 unencumbered shares registered in his/her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank and not disqualified under the provisions of Section 19A and 22 of the State Bank of India Act, 1955 and Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 is eligible to contest the election.
- If the number of valid nominations exceed four, the voting for election will be held at the General Meeting of shareholders to be held on Wednesday, the 17th June, 2020 at “**State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021** (Maharashtra) at 3.00 p.m.
- Any Shareholder, other than the Central Government with 50 or more shares, registered in his/her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank for a minimum period of 3 months prior to the date of the General Meeting and who continues to be a shareholder with minimum 50 shares in the Register of the Bank's shareholders as on the date of the Meeting is eligible to vote in the Election.

NOTES:-

(i) PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP.

The Proxy Forms and Attendance Slips for eligible shareholders are available in the Secretariat of Chief General Managers of Bank's Local Head Offices, and Bank's website: www.sbi.co.in under the link Investor Relations →Share Holder Bondholder Information and also at the following offices:

- (i) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, 14th Floor, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai-400 021. Telephone: 022-22740841 – 848.

- (ii) M/s Alankit Assignments Ltd., Unit: State Bank of India, Alankit Heights, 205-208, Anarkali Complex, E/7, Jhandelwala Extension, New Delhi - 110055 Telephone: 011-42541234, 7290071335

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 17th June, 2020.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 6th June, 2020 by 5.00p.m.

(ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE.

Shareholder, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 10th June, 2020 by 5.00 p.m.

- (i) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021.
- (ii) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Synergy, "C 6", G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

RAJNISH KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./14/2020-21]